संख्या-145/2026/आई/1401469/2026/001-23-14002(002)/8/2026

प्रेषक,

शरद सक्सेना,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ, दिनांकः 20 जुलाई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3054 वी0आई0पी0 विजिट के कार्यो हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-आई/646262/2026, दिनांक 19.06.2026 एवं आई/647966/2026, दिनांक 19.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वी0आई0पी0 विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 25.33 (रूपये पच्चीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कुल लागत
1	2	3	4
1.	प्रा0ख0, गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड उरूवा में प्राचीन शिव मन्दिर, मठ चचाईराम में दिनांक 03.12.2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आगमन के अवसर पर हैलीपैड निर्माण, बैरिकेडिंग, स्वीस काटेज, एप्रोच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं विविध कार्य।	16.81
2.	प्रा0ख0, गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड गोला में प्रस्तावित श्रीरामजानकी मन्दिर, मदरिया में दिनांक 03.12.2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आगमन के अवसर पर हैलीपैड निर्माण, बैरिकेडिंग, स्वीस काटेज, एप्रोच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं विविध कार्य।	08.52
		योग	**25.33**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) मुख्यालय द्वारा उक्त बिलों का स्वस्तर से नियम व शर्तों के आलोक में परीक्षण करते हुए संस्तुत धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र भी संबंधित फर्म/इकाई से अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। यदि आवश्यक हो तो बिलों का प्री-ऑडिट कराकर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बिल वास्तविकता के आधार पर भुगतान योग्य है। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

(3) मुख्यालय प्रयोग की गयी सामग्री/ कार्यों के मानकों के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे।

(4) मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण हेतु प्रस्तावित धनराशि को आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रायोजन/कार्यों हेतु पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

(5) मुख्यालय प्रश्नगत बिलों की पूर्व में दी गयी सहमति से मिलान करना सुनिश्चित करेगें, जिससे कि बिलों के भुगतान में द्विरावृत्ति न हो।

(6) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता / ऑडिट प्रस्तर के संबंध में मुख्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुख्यालय की होगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) प्रश्नगत परियोजना में विभागीय पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) मुख्यालय द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,33,000 (रुपये पच्चीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054808000800 वी.आई.पी. विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

शरद सक्सेना

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

16- गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शरद सक्सेना

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।